मु.नं.–02 / 2021 GCMS ID-2021/1 ता.रजु–05.01.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

भरतलाल माली पुत्र नाथ्या माली, ग्राम व पोस्ट–नारौली डांग, तहसील सपोटरा जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–09.02.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 19.01.2011, 25.01.2021, 02.02.2021, 09.02.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर डी.जे. साउण्ड का प्रमाण पत्र व आवेदन फार्म की प्रतिलिपि चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को आंशिक सूचना उपलब्ध करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2021 / 16 दिनांक 15.01.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 378 दिनांक 30.07.2020 द्वारा अपीलार्थी को इस कार्यालय के विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है कि डी.जे. साउण्ड का प्रमाण पत्र इस कार्यालय से जारी नहीं किया जाता है और आवेदन फार्म भी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
7. यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है तथापि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना यदि प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी तो जिस कार्यालय से डी.जे. साउण्ड का अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है, उस कार्यालय को अपीलार्थी का आवेदन स्थानांतरित किया जाना चाहिये था लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन अंतरित नहीं किया गया। अतः हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट स्वीकर की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी का आवेदन निर्णय की प्राप्ति दिनांक से 5 दिवस के अंदर संबंधित लोक प्राधिकरण को करें।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली